न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 10/2025
निर्णय दिनांक:–27.03.2025
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. गोविन्दनारायण व्यास पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. रामप्यारी देवी पत्नि स्व० रामलाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. सत्यनारायण पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामस्वरूप पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज०।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री रामपाल बैरवा अधिवक्ता वादी
श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक:–27.03.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खतौनी संख्या 604 के आराजी खसरा नम्बर 7189 रकबा 1.4542 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फामी दक्षिण तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का 1/4–1/4 हिस्सा है। मौके पर उक्त हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि को वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रतिवादी संख्या 01 के स्व० पति रामलाल पुत्र सूजालाल कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या 410 के आराजी खसरा नम्बर 7622 रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण, तहसील फागी में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/2 है तथा खाता संख्या 411 के आराजी खसरा नम्बर 7365 रकबा 0.6449 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 581 के आराजी खसरा नम्बर 8729/2 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8730 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8737 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8740 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.1634 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

हिस्सा 1/4 है। उक्त भूमि को वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रतिवादी संख्या 01 के स्व० पति रामलाल पुत्र भूरा की मृत्यु होने से उसके 1/2 व 1/4 हिस्से की भूमि को प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। तथा विवादग्रस्त आराजी पैरा संख्या 01 में वर्णित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की पुश्तैनी आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का जन्मजात हक व हिस्सा निहित है तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजी भूमि में स्व० रामलाल पुत्र भूरा के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का हिस्सा पूर्व से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ है उक्त विवादित भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो वादी के पूर्वज / पिता सूजालाल पुत्र भूरा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के पिता सूजालाल पुत्र भूरा की मृत्यु हो चुकी है एवं वादी की माता भूरी देवी पत्नि सूजालाल की भी मृत्यु हो चुकी है तथा वादी के भाई रामलाल पुत्र सूजालाल की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे उक्त विवादित भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित भूमि वादी के पिता सूजालाल पुत्र भूरा के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 बतौर कोटिनेन्ट काबिज काश्त चले आ रहे है जिनको हक व हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होता है उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी का हिस्सा व हक अधिकार जन्म से निहित है जिससे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। वादी के भाई स्व० रामलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसकी वारिस एकमात्र प्रतिवादी संख्या 01 है वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 उक्त विवादित भूमि पैरा संख्या 01 में वर्णित है में मनबट के अनुसार अपने–अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तहै वादी के पिता सूजालाल पुत्र भूरा की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे उक्त विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का हिस्सा बराबर–बराबर है। वाद पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 स्व० रामलाल के नाम से दर्ज 1/2 तथा 1/4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अभी हाल ही में दिनांक 01/02/2025 को जब वादी अपने हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी जो वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में बोई हुई फसल चना की सार–सम्भाल करने गया था तो प्रतिवादीगण कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये और मौके पर जमीन दिखाकर बैचान की बातचीत करने लगे। तो वादी ने प्रतिवादीगण को बैचान करने से मना किया तो प्रतिवादीगण आगबबूला हो गया और वादी के साथ गाली–गलौच करने लगे एवं कहा कि उक्त आराजी हमारी है। जिसको हम बैचान करेगें एवं तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल करके रहेगें। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत् घोषणा व स्थाई

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
कानी, जयपुर

निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त नापाक मनसूबें में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। खर्चे से जेरबार होना पड़ेगा एवं व्यर्थ में मुकदमेंबाजी बढेगी। जिससे वादी को भारी क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा। इसलिए वादी को आवश्यक हुआ है कि वह उक्त वाद पेश कर अपने हक एवं अधिकार व हिस्से कि भूमि की घोषणा करवाते हुये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा देवें। विवादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी का हक एवं अधिकार निहित है जिसे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है उक्त विवादित भूमि काविधिवक्त रूप से विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण भी आये दिन सिमाओं को लेकर वादी से विवाद करते है ओर भूमि की बाहजोत करने में बाधा उत्पन्न करते है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी को वादकारण दिनांक 01/02/2025 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की पुश्तैनी आराजीयात को वैचान कर वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दिये जाने से उत्पन्न हुआ हैं। जो निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजी व पक्षकारान् का निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद की सुनवाई व निस्तारण किये जाने का अधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से वकील श्री रमेशचन्द शर्मा उपस्थित आये तथा ईकबालिया जवाब व राजीनामा पेश किया गया एवं अपने जवाब मे बताया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। खाता सं. 604 वाके ग्राम फागी दक्षिण की भूमि वादी के पिता स्व0 सूजालाल पुत्र भूरजी हिस्सा पूर्ण जाति बारागांव (व्यास) सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 उक्त आराजी में 1/4 – 1/4 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है। तथा वाके ग्राम फागी दक्षिण के खाता सं. 410 के खसरा नं. 7622 तथा खाता सं. 411 के खसरा नं. 7365 तथा खाता सं. 581 के खसरा नंबर 8729/2, 8730, 8737, 8740 की आराजी वादी के भाई स्व. रामलाल पुत्र सूजालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। स्व. रामलाल पुत्र सूजालाल की वारिस प्रतिवादी सं. 1 रामप्यारी देवी पत्नि रामलाल है। खाता सं. 410 की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के पति स्व. रामलाल पुत्र

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

1. सूजालाल का हिस्सा 1/2 है। खाता सं. 411 में स्व0 रामलाल पुत्र सूजालाल का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता सं. 581 में स्व0 रामलाल पुत्र सूजालाल का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता सूजालाल के नाम से जमाबंदी में दर्ज हिस्से की भूमि को वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 के स्व. पति रामलाल पुत्र भूरा के नाम से जमाबंदी में दर्ज हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 प्राप्त करने की अधिकारी हैं। **प्रतिवादीगण जरिये इकबालिया जवाब मय राजीनामा आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत होने पर प्रकरण के तथ्यों व दावे को प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकार किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित भूमि को लेकर राजीनाम हो चुका है तथा अब काई विवाद शेष नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार कर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे पक्षकारान के मध्य वाद की विषय वस्तु को लेकर समझौता हो चुका है।** जिससे उक्त विवादित भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण **आदेश 23 नियम 03 सीपीसी के अन्तर्गत** डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 604 के आराजी खसरा नम्बर 7189 रकबा 1.4542 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर आराजीयात में सूजालाल पुत्र भूरजी के नाम दर्ज आराजी मे से वादी को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को 1/4 – 1/4 हिस्से का तथा खाता सं0 410 के ख0नं0 7622 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, खाता सं0 411 के ख0नं0 7365 रकबा 06449, खाता सं0 581 के ख0नं0 8729/2, 8730, 8737, 8740 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1634 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात में स्व0 रामलाल पुत्र सूजालाल के नाम दर्ज हिस्से की आराजीयात का प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

नोट :- आदेश दिनांक 16.4.25 के अनुसार खाता सं. 581 के कुल रकबा 1.1634 के स्थान पर 0.5185 पढ़ा जावें।

(सर्केश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. गोविन्दनारायण व्यास पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. रामप्यारी देवी पत्नि स्व० रामलाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. सत्यनारायण पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
3. रामस्वरूप पुत्र स्व० सूजालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
4. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज०।
5. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज०।

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु०न०:– 10 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री रामपाल बैरवा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री रमेशचन्द शर्मा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 604 के आराजी खसरा नम्बर 7189 रकबा 1.4542 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर आराजीयात में सूजालाल पुत्र भूरजी के नाम दर्ज आराजी मे से वादी को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को 1/4 – 1/4 हिस्से का तथा खाता सं0 410 के ख0नं0 7622 रकबा 0.7587 हैक्टेयर, खाता सं0 411 के ख0नं0 7365 रकबा 06449, खाता सं0 581 के ख0नं0 8729/2, 8730, 8737, 8740 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1634 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात में रामलाल पुत्र सूजालाल के ना दर्ज हिस्से की आराजीयात का प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा जारी हो।

निज.......–.......मुबलिग.......–.......बाबत.......–.......

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....–.......फीसदी.......–....... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.03.2025 को जारी की गई।

मुहर

नोट :- आदेश दिनांक 16/5/25 के अनुसार खाता 581 के कुल रकबा 1.1634 के स्थान पर 0.5185 व 'ना' 'शब्द' के स्थान पर नाम पढ़ा जावें।

दस्तखत

ओहदा

कृ0प0उ0

उपखण्ड अधिकारी
फागी

गोविन्दनारायण बनाम रामप्यारी वगै0
मु0न0:— 10 / 2025
निर्णय दिनांक:— 27.03.2025

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

(राकेश कुमार ा)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते